

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 26/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री नवरतन जोशी एडवोकेट निवासी 11/473 जोशी भवन, आजाद नगर, भीलवाड़ा। बनाम लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द।

—अपीलार्थी

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :-प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 27.04.2022



अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के विरुद्ध दिनांक 24.03.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 54 एफ 902645 राशि 10.00 रुपये के साथ एक आवेदन दिनांक 01.02.2022 को लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द को प्रेषित किया किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.04.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द जिला भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय में उपलब्ध रेकॉर्ड के आधार पर निर्णय दिनांक से 15 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध कराते हुए पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति उभयपक्षकारान को प्रेषित की जावें।

आदेश आज दिनांक 27.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलट अधिकारी

जिला कलक्टर

भीलवाड़ा